

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी
प्रकरण सं. 9/2023 वादपत्र धारा 53 आर.टी.एक्ट. 1955

मृतक किशनलाल पिता भैरूलाल गुर्जर के स्थान पर

- 1/1- राजीबाई पत्नी स्व. किशनलाल गुर्जर नि. खैरमालिया तहसील बड़ीसादड़ी
- 1/2- मांगीबाई पुत्री स्व. किशनलाल गुर्जर नि. खैरमालिया तहसील बड़ीसादड़ी
- 1/3- देउबाई पुत्री स्व. किशनलाल गुर्जर नि. खैरमालिया तहसील बड़ीसादड़ी
- 1/4- बुलाबाई पुत्री स्व. किशनलाल गुर्जर नि. खैरमालिया तहसील बड़ीसादड़ी
- 1/5- राधाबाई पुत्री स्व. किशनलाल गुर्जर नि. खैरमालिया तहसील बड़ीसादड़ी
- 1/6- देवीलाल पुत्री स्व. किशनलाल गुर्जर नि. खैरमालिया तहसील बड़ीसादड़ी

-वादीगण

-: बनाम :-

- 1- कंवरलाल पिता उदयलाल गुर्जर नि. खैरमालिया तह. बड़ीसादड़ी
- 2- भंवरी पुत्री उदयलाल गुर्जर नि. खैरमालिया तह. बड़ीसादड़ी
- 3- राजमल पिता उदयलाल गुर्जर नि. खैरमालिया तह. बड़ीसादड़ी
- 4- राजीबाई पुत्री उदयलाल गुर्जर नि. खैरमालिया तह. बड़ीसादड़ी
- 5- लहरीबाई पुत्री उदयलाल गुर्जर नि. खैरमालिया तह. बड़ीसादड़ी
- 6- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

- प्रतिवादीगण

यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि -
मौजा खैरमालिया पटवार हल्का खैरमालिया की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

- 1- देवीलाल, राधाबाई, बुलाबाई, देउ बाई, मांगीबाई पिता किशनलाल 5/6 राजीबाई पत्नी स्व. किशनलाल 1/6 गुर्जर सा. देह खा.

आ. नं.	रकबा
351	0.02
<u>352/1</u>	<u>0.37</u>
2	0.39

- 2- कंवरलाल, राजमल, भंवरी, राजीबाई, लहरीबाई, पिता उदयलाल गुर्जर सा. देह खाता रहन बदस्तुर जमाबंदी

आ. नं.	रकबा
<u>352/2</u>	<u>0.39</u>
1	0.39

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

इस वाद के खर्चे..... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दरा से ब्याज सहीत..... को दी जावे। यह आज

दिनांक 17.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

प्रवीण कुमार मीणा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर

बड़ीसादड़ी

न्यायालय सहायक कलक्टर, बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2025/36

दिनांक : 17/02/25

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।

सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी

निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 9/2023

वादपत्र धारा 53 आर.टी.एक्ट. 1955

मृतक किशनलाल पिता भैरूलाल गुर्जर के स्थान पर

- 1/1- राजीबाई पत्नी स्व. किशनलाल गुर्जर नि. खैरमालिया तहसील बड़ीसादड़ी
- 1/2- मांगीबाई पुत्री स्व. किशनलाल गुर्जर नि. खैरमालिया तहसील बड़ीसादड़ी
- 1/3- देउबाई पुत्री स्व. किशनलाल गुर्जर नि. खैरमालिया तहसील बड़ीसादड़ी
- 1/4- बुलाबाई पुत्री स्व. किशनलाल गुर्जर नि. खैरमालिया तहसील बड़ीसादड़ी
- 1/5- राधाबाई पुत्री स्व. किशनलाल गुर्जर नि. खैरमालिया तहसील बड़ीसादड़ी
- 1/6- देवीलाल पुत्री स्व. किशनलाल गुर्जर नि. खैरमालिया तहसील बड़ीसादड़ी

-वादीगण

-: बनाम :-

- 1- कंवरलाल पिता उदयलाल गुर्जर नि. खैरमालिया तह. बड़ीसादड़ी
- 2- भंवरी पुत्री उदयलाल गुर्जर नि. खैरमालिया तह. बड़ीसादड़ी
- 3- राजमल पिता उदयलाल गुर्जर नि. खैरमालिया तह. बड़ीसादड़ी
- 4- राजीबाई पुत्री उदयलाल गुर्जर नि. खैरमालिया तह. बड़ीसादड़ी
- 5- लहरीबाई पुत्री उदयलाल गुर्जर नि. खैरमालिया तह. बड़ीसादड़ी
- 6- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

- प्रतिवादीगण

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बड़ीसादड़ी के द्वारा फर्द बटवाड़ा प्राप्त हो चुका है। माफिक फर्द बटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि -

मौजा खैरमालिया पटवार हल्का खैरमालिया की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

- 1- देवीलाल, राधाबाई, बुलाबाई, देउ बाई, मांगीबाई पिता किशनलाल 5/6 राजीबाई पत्नी स्व. किशनलाल 1/6 गुर्जर सा. देह खा.

आ. नं.	रकबा
351	0.02
<u>352/1</u>	<u>0.37</u>
2	0.39

- 2- कंवरलाल, राजमल, भंवरी, राजीबाई, लहरीबाई, पिता उदयलाल गुर्जर सा. देह खाता रहन बदस्तुर जमाबंदी


आ. नं.	रकबा
<u>352/2</u>	<u>0.39</u>
1	0.39

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

मोहर




प्रवीण कुमार मीणा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी